न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर
अजमेर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	**–**	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	**–**	**193/2018**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**193/2018**
अभियोग संख्या	**–**	**45/2017–18**
सीएनआर नंबर	**–**	RJAJ220003632018
आरक्षी केन्द्र	**–**	**आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

श्रीमती रूकमा पत्नी सुरेश, उम्र–48 साल, निवासी सांसी बस्ती, पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर। **......अभियुक्ता**

अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री अर्जुन सिंह राठौड़, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	12.01.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	12.01.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	27.04.2018
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	27.04.2018
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	18.0.2024
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	16.03.2026
निर्णय की तिथि	16.03.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

authentication document

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1.	रूकमा	15.01.2018	15.01.2018	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	दोषसिद्ध	दण्डादेशानुसार	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	रणसिंह	सैम्पल वाहक
पीडब्ल्यू–2	रामचन्द्र	अभियोग दर्ज कर्ता, अनुसंधानकर्ता, चालान पेशकर्ता
पीडब्ल्यू–3	मायादेवी	फर्द गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू–4	औंकारसिंह	मौका गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	अग्रेषणपत्र	प्रदर्श पी–1
2	नमूना प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–2

3	फर्द जब्ती	प्रदर्श पी–3
4	नक्शा मौका बरामदगी स्थल	प्रदर्श पी–4
5	प्रथम सूचना प्रतिवेदन	प्रदर्श पी–5
6	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–6
7	मालखाना रजिस्टर	प्रदर्श पी–7
8	मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–8
9	फर्द नमूना सील	प्रदर्श पी–9
10	नमूना चिट चेपा	प्रदर्श पी–10

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1	गवाह रणसिंह के पुलिस बयान	प्रदर्श डी–1

निर्णय **दिनांकः– 16.03.2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण की ओर से दिनांक 27.04.2018 को अभियुक्ता रूकमा के विरुद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 01.05.2025 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रामचन्द्र, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर ने दिनांक 12.01.2018 को एक फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–3 आबकारी निरोधल दल थाना अजमेर ग्रामीण में इस आशय की पेश की कि दिनांक 12.01.2018 को वह बहमराह मालाराम जमादार व ईपीएफ जाप्ता अजमेर ग्रामीण मय सहायक आबकारी अधिकारी आबकारी निरोधक दल अजमेर मय संविदा वाहन मय अनुसंधान बॉक्स विशेष आबकारी धावो के दौरान रेड गश्त करते हुए सांसी बस्ती, पीसांगन के आम रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से एक औरत अपने हाथ मे एक भारी सा प्लास्टिक कट्टा लिए हुए आती नजर आई, जिसकी नजर उनकी गाड़ी फोर्स पर पड़ते ही घबरा कर प्लास्टिक कट्टे को वहीं पटक कर झाड़ियों में भागने लगी, जिसको हमराह जाप्ते में आए औंकारसिंह सिपाही ने अभियुक्ता रूकमा के रूप में पहचाना, क्योंकि यह बस्ती औंकारसिंह सिपाही का बीट क्षेत्र है और औंकारसिंह सिपाही ने आवाजें लगाई रूकमा रूक जा व पीछा भी किया मगर वह नहीं रूकी और झाड़ियों में रूहपोश हो गई, काफी खोजबीन की मगर नहीं मिली, बाद वापस रूकमा द्वारा पटके गए प्लास्टिक कट्टे के पास आकर आस–पास से दो स्वतंत्र गवाह

बनने का आग्रह किया, मगर कोर्ट कचहरी के डर व बस्ती सजातीय होने से कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तब हमराह जाप्ते में से मालाराम जमादार व औंकारसिंह को गवाह मामूर कर जामा तलाशी का आदान–प्रदान कर अभियुक्ता द्वारा पटके गए कट्टे का मुंह खोलकर देखा सूंघा एवं हाजिरान व मौतबिरान को भी दिखाया सूघांया, तब सबने एकराय होकर बताया कि इस प्लास्टिक कट्टे मे देशी शराब के पव्वे रखे है। तब इन पव्वों को कट्टे से बाहर निकालकर इनकी गिनती की तो कुल 45 पव्वे सादा देशी मदिरा 50 यूपी क्षमता 180 एमएल भरे मिले। अभियुक्ता का उक्त कृत्य राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 मे बखूबी अपराध घटित पाए जाने पर बरामद शराब पव्वो में से 18 पव्वे बतौर नमूना सैंपल लेकर मौतबिरान की दस्तखती चिटों से सीलचीट चस्पा कर मार्का 01 से 18 अंकित किया व शेष बचे 27 पव्वों को वजह सबूत उसी प्लास्टिक कट्टे में रखकर मौतबिरान की दस्तखती चिटों से सीलचिट चस्पा किया। फर्द जब्ती हस्ब कायदा मुर्तिब कर हाजिरान व मौतबिरान को पढाई सुनाई, समझायी। मौतबिरान के पढ़ सुन समझ सही मानने पर फर्द पर दस्तखत किए। नमूना सील फर्द पर अंकित की, नमूना सैंपल वजह सबूत व नमूना सैंपल जरिये फर्द कब्जे राज लिया....आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर आबकारी निरोधक दल अजमेर ग्रामीण द्वारा अभियोग संख्या 45/2017–18 अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्ता रूकमा के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– दिनांक 27.04.2018 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्ता द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

06– तत्पश्चात अभियुक्ता का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्ता ने कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्त के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध–पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु यह है कि:–

''क्या, दिनांक 12.01.2018 को किसी समय सांसी बस्ती, पुष्कर में एक प्लास्टिक के कट्टे में 45 पव्वे सादा देशी मदिरा के अभियुक्ता के चैतन्य कब्जे से बरामद हुए, जिन्हें रखने एवं परिवहनित करने का लाइसेंस/परमिट उसके पास नहीं था ? यदि हॉं तो अभियुक्ता किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्ता को दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता श्री अर्जुन सिंह राठौड़ ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्ता की लिप्तता को प्रकट करें। अंत में, अभियुक्ता को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु कुल **04** साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

साक्षीगण **पीडब्ल्यू 01 रणसिंह** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 01.02.2018 को आबकारी थाना अजमेर ग्रामीण में सिपाही के पद पर तैनात था। उस रोज प्रहराधिकारी रामचंद्र के निर्देशानुसार प्रहराधिकारी से तहरीरी संख्या 712 दिनांक 01.02.2018 प्राप्त कर प्रकरण सरकार बनाम रूकमा देवी एफआईआर नंबर 45/17–18 का नमूना सैंपल 18 पव्वे सीलबंद अवस्था में मालखाना इंचार्ज मालाराम जमादार से प्राप्त कर आबकारी प्रयोगशाला अजमेर में गया, जहां उक्त नमूना सैंपल 18 पव्वे सीलबंद अवस्था में ही आबकारी प्रयोगशाला अजमेर में जमा कराकर नमूना प्राप्ति रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की, जो शामिल पत्रावली है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–1 है तथा नमूना प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी नमूना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि सैम्पल बंद अवस्था में था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसमें क्या था। यह कहना सही है कि जब उसे सैम्पल दिया गया था, तब मालखाने से सेंपल प्राप्त करने के हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। यह कहना सही है कि उक्त सैम्पल उसके द्वारा प्रयोगशाला में जमा करवाया गया हो, इस बाबत उसके कोई हस्ताक्षर करवाए गए हो, इस प्रकार के कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। वह सैम्पल को लेकर टैम्पो से गया था। यह कहना सही है कि टैम्पो रास्ते में रूकते–रूकते गया था। थाने से वह 11–11.15 बजे रवाना हुआ था व 12 या 12.15 बजे प्रयोगशाला पहुंच गया था। यह कहना सही है कि वह थाने से रवाना हुआ, उसका समय व प्रयोगशाला में पहुंचने का समय का इन्द्राज उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने उस सैम्पल को तोडकर उसमें शराब भर दी हो। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा है।

पीडब्ल्यू 02 रामचन्द्र ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 12.01.2018 को आबकारी थाना अजमेर ग्रामीण में प्रहराधिकारी के पद पर तैनात था उस रोज वह, मय जाब्ते के वास्ते गश्त हेतु रवाना होकर गश्त करते हुए सांसी बस्ती पीसांगन के आम रास्ते से जा रहे थे कि सामने से एक महिला हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिये हुए आते हुए दिखायी दी जिसे हमराह जाब्ते में से बीट कांस्टेबल ओंकार सिंह ने रूकमा देवी पत्नी सुरेश सांसी होना पहचाना व बताया कि यह अवैध शराब का कारोबार करती है। रूकमा देवी ने बावर्दी जाब्ता व गाड़ी देखकर प्लास्टिक के कट्टे को वहीं पटक कर झाड़ियों में भाग गयी जिसका पीछा किया मगर गलियों में निकल जाने से दस्तयाब नहीं कर पाये उक्त कट्टे को चैक करने हेतु आस–पड़ौसियान को मौतबीरान रहने हेतु पूछा गया तो कोर्ट कचहरी के डर से व बस्ती सजातीय होने से कोई भी व्यक्ति मौतबीरान रहने को तैयार नहीं हुआ जिस पर हमराह जाब्ते में से मालाराम व औंकार सिंह को गवाह मामूर किया जाकर कट्टे को खोलकर चैक किया तो उसमें देशी पव्वे यूपी 180 एमएल क्षमता के सादा देशी मदिरा के कुल 45 पव्वें मिले जिनको सूंघा व चखा व चैक किया तो देशी मदिरा होना पाया जिस पर धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध पाये जाने पर उक्त 45 पव्वों में से 18 पव्वें वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु निकालकर गवाहन के दस्तखती चिठों से सील्डमोहर कर मार्का 1 से मार्का 18 अंकित किया तथा शेष बचे 27 पव्वों को उसी प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील्ड मोहर किया। मौके पर ही फर्द जब्ती बनायी जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी गवाह मालाराम, सी से डी औंकार सिंह के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी गवाह मालाराम, सी से डी औंकार सिंह के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय जब्तशुदा माल, मय जाब्ते के वापसी थाने पर आये जहां प्रकरण हाजा का माल, मालखाना इंचार्ज मालराम के समक्ष पेश कर जमा मालखाना करवाया जिस पर मालखाना इंचार्ज मालराम के द्वारा मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 4 पर इंद्राज किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी जमा कराने का इंद्राज व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 7–ए है जिस पर ए से बी जमा कराने का इंद्राज व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की जो प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर मुकदमा नंबर 45/17–18 दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाह मालाराम, ओंकार सिंह, माया देवी रण सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये तथा प्रकरण हाजा का नमूना सैम्पल एफएसएल में जमा कराने हेतु अग्रेषण पत्र तैयार किया जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। सैम्पल वाहक रण सिंह के मार्फत नमूना सैम्पल जमा प्रयोगशाला में करवाया जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–2 है जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली की गयी। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। वास्ते कार्यवाही घटनास्थल पर आमद रवानगी मूवमेंट रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। उसके

authentication document

द्वारा दौराने अनुसंधान दिनांक 15.01.2018 को रूकमा देवी को मालाराम व मायादेवी गवाहन के समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 गिरफ्तार किया, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिमा की अंगुठा निशानी है। उसके अनुसंधान से मुलजिम रूकमा देवी के विरूद्ध धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह मालाराम की फौत हो चुकी है, उक्त कर्मचारी उसके अधीनस्थ रहने से उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में पहचानता है। प्रकरण हाजा का माल प्लास्टिक के कट्टे में सीलबंद अवस्था में पेश हुआ श्रीमान न्यायालय के आदेश से सील खोली गयी कट्टे की सील पर नमूना चिट चेपा है जिस पर अभियोग संख्या 17–18 तथा प्रकरण की इबारत अंकित है। नमूना चिट चेपा प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी गवाह औंकार सिंह, सी से डी गवाह मालाराम, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। प्लास्टिक के कट्टे में 27 पव्वे सीलबंद अवस्था में है जिन पर नीला ढक्कन लगा हुआ है तथा लेबल चस्पा है जिस पर देशी मदिरा सादा 50 यूपी, 180 एमएल होना अंकित है। पव्वों में कई पव्वें खाली हैं, कुछ में थोड़ी मात्रा है, सभी पव्वे सीलबंद है। प्लास्टिक का कट्टा जिसमें 27 पव्वे है आर्टिकल 1 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह बात सही है कि वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब जब्तशुदा पव्वों से भरा कट्टा मिला था, उस वक्त उस कट्टे के पास कोई व्यक्ति या महिला नहीं थी, स्वतः कहा कट्टा जिसके हाथ में था, उक्त महिला रूकमादेवी जाब्ते को देखकर कट्टा पटक कर पहले ही निकल गयी थी। यह बात सही है कि उसने प्रत्येक पव्वे से सेंपल नहीं लिया था। यह कहना सही है कि पव्वे जिस कंपनी से बने हुए थे, उस कंपनी के किसी अधिकारी, कर्मचारी से अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो, समस्त फर्द थाने पर बैठकर बनायी थी। यह कहना भी गलत है कि उसने आरोपी के विरूद्ध गलत अनुसंधान कर झूठा फंसाया हो।

पीडब्ल्यू 03 मायादेवी ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 15.01.2018 को आबकारी निरोधक दल थाना अजमेर ग्रामीण में महिला होमगार्ड के पद पर कार्यरत थी, उस दिन प्रहराधिकारी रामचंद्र ने उसके व मालाराम के सामने अभियुक्ता रूकमा देवी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि वह दिनांक 15.01.2018 को आबकारी विभाग में ही कार्यरत था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। उस दिन आरोपिया ने किस कलर के कपडे पहन रखे थे, उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 में आरोपिया को गिरफ्तार करने की सूचना उसके परिवार वालों को दी हो, इसका इन्द्राज नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 में आरोपिया को कहां से गिरफ्तार किया, इसका इन्द्राज नहीं है। यह कहना गलत है कि वह रामचन्द्र के अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण झूठे बयान दे रही हो।

पीडब्ल्यू 04 ओंकारसिंह ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 12.01.2018 को आबकारी थाना अजमेर ग्रामीण में सिपाही के पद पर तैनात था। उस रोज वह, प्रहराधिकारी मय जाब्ते के वास्ते गश्त हेतु रवाना होकर गश्त करते हुए सांसी बस्ती पीसांगन के आम रास्ते से जा रहे थे कि सामने से एक महिला हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिये हुए आते हुए दिखायी दी जिसे उसने रूकमा देवी पत्नी सुरेश सांसी होना पहचाना व बताया कि यह अवैध शराब का कारोबार करती है। रूकमा देवी ने उन्हें बावर्दी जाब्ता व गाड़ी देखकर प्लास्टिक के कट्टे को वहीं पटक कर झाड़ियों में भाग गयी जिसका पीछा किया मगर गलियों में निकल जाने से दस्तयाब नहीं कर पाये उक्त कट्टे को चैक करने हेतु आस–पड़ौसियान को मौतबीरान रहने हेतु पूछा गया तो कोर्ट कचहरी के डर से व बस्ती सजातीय होने से कोई भी व्यक्ति मोतबीरान रहने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर हमराह जाब्ते में से उसे व मालाराम को गवाह मामूर किया जाकर कट्टे को खोलकर चैक किया तो उसमें देशी पव्वे यूपी 180 एमएल क्षमता के सादा देशी मदिरा के कुल 45 पव्वे मिले जिनको सूंघा व चखा व चैक किया तो देशी मदिरा होना पाया जिस पर धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध पाये जाने पर उक्त 45 पव्वों में से 18 पव्वें वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु निकालकर गवाहन के दस्तखती चिठों से सील्डमोहर कर मार्का 1 से मार्का 18 अंकित किया तथा शेष बचे 27 पव्वों को उसी प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील्ड मोहर किया। मौके पर ही फर्द जब्ती बनायी जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय जब्तशुदा माल, मय जाब्ते के वापसी थाने पर आये जहां प्रकरण हाजा का माल, मालखाना इंचार्ज मालराम के समक्ष पेश कर जमा मालखाना करवाया जिस पर मालखाना इंचार्ज मालराम के द्वारा मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 45/2018 पर इंद्राज किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि जब हम घटनास्थल पहुंचे, तब यहां पर पव्वों का भरा हुआ कट्टा ही मिला और वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला था। यह कहना सही है कि प्रत्येक पव्वों से सैम्पल नहीं लिया गया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल एक खुला स्थान है और वहां कोई आ जा सकता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–04 में हमारी गाड़ी कहा खड़ी है यह दर्शाया हुआ नहीं है। यह कहना सही है कि पीसांगन गांव में रूकमा नाम की काफी औरते हो सकती है और वह प्रत्येक रुकमा नाम की औरत को नहीं जानता है और ना ही पहचानता है और ना ही वह रूकमा का मकान नंबर बता सकता है और ना ही उसका रूकमा के साथ राखी डोरा का संबंध है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा माल आज न्यायालय के समक्ष नहीं है। जब्तशुदा माल का बैच नंबर वह नहीं बता सकता है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा कट्टे से कोई फिंगर प्रिंट नहीं लिये गये थे। जब्तशुदा कट्टे पर किसी व्यक्ति का नाम आदि नहीं लिखा हुआ था। यह कहना सही है कि जब्तशुदा कट्टे बाजार में आसानी से मिल सकता है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा शराब पव्वे टैक्स पेयशुदा है और ठेके पर आसानी से मिल सकते है। यह कहना सही है कि उसने प्रत्येक पव्वे को खोलकर चखा नहीं था। नक्शामौका और फर्द जब्ती बनाते वक्त लगभग 10–15 लोग इकट्ठा हुए थे और 10–15 लोगों

में से रामचंद्र ने किसी के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। उसके सामने संबंधित सरपंच या वार्ड पंच को मौके पर नही बुलाया था। उसके सामने संबंधित सरपंच या वार्ड पंच को बुलाने के लिये लिखित में तहरीर जारी नहीं की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–04 में घटनास्थल के पास आम सडक है, जहां पर काफी लोग आ जा रहे थे। यह कहना सही है कि उसके सामने रामचंद्र जी ने किसी राहगीर या वाहन चालक को रोककर पूछताछ नहीं की थी। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नही गया हो। यह कहना गलत है कि उसने थाने पर ही समस्त फर्दो पर हस्ताक्षर करे हो। यह कहना गलत है कि वह रामचंद्र के अधीनस्थ कार्यरत होने के कारण आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

12– इस प्रकार अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी रामचन्द्र, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, थाना अजमेर ग्रामीण द्वारा फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–3 इस आशय की पेश करने पर हुआ कि दिनांक 12.01.2018 को वह बहमराह मालाराम जमादार व ईपीएफ जाप्ता अजमेर ग्रामीण मय सहायक आबकारी अधिकारी आबकारी निरोधक दल अजमेर मय संविदा वाहन मय अनुसंधान बॉक्स विशेष आबकारी धावो के दौरान रेड गश्त करते हुए सांसी बस्ती, पीसांगन के आम रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से एक औरत अपने हाथ मे एक भारी सा प्लास्टिक कट्टा लिए हुए आती नजर आई, जिसकी नजर उनकी गाड़ी फोर्स पर पड़ते ही घबरा कर प्लास्टिक कट्टे को वहीं पटक कर झाड़ियों में भागने लगी, जिसको हमराह जाप्ते में आए औंकारसिंह सिपाही ने अभियुक्ता रूकमा के रूप में पहचाना, क्योंकि यह बस्ती औंकारसिंह सिपाही का बीट क्षेत्र है और औंकारसिंह सिपाही ने आवाजें लगाई रूकमा रूक जा व पीछा भी किया मगर वह नहीं रूकी और झाड़ियों में रूहपोश हो गई, काफी खोजबीन की मगर नहीं मिली, बाद वापस रूकमा द्वारा पटके गए प्लास्टिक कट्टे के पास आकर आस–पास से दो स्वतंत्र गवाह बनने का आग्रह किया, मगर कोर्ट कचहरी के डर व बस्ती सजातीय होने से कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तब हमराह जाप्ते में से मालाराम जमादार व औंकारसिंह को गवाह मामूर कर जामा तलाशी का आदान–प्रदान कर अभियुक्ता द्वारा पटके गए कट्टे का मुंह खोलकर देखा सूंघा एवं हाजिरान व मौतबिरान को भी दिखाया सूघांया, तब सबने एकराय होकर बताया कि इस प्लास्टिक कट्टे मे देशी शराब के पव्वे रखे है। तब इन पव्वों को कट्टे से बाहर निकालकर इनकी गिनती की तो कुल 45 पव्वे सादा देशी मदिरा 50 यूपी क्षमता 180 एमएल भरे मिले। जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाहान रामचंद्र प्रहराधिकारी सहित सिपाही ओंकार सिंह व जमादार मालाराम जाप्ते में शामिल पुलिसकर्मी/संविदाकर्मी हैं, जिनमें से न्यायालय के समक्ष गवाह रामचन्द्र पीडब्ल्यू–2 व ओंकार सिंह पीडब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित हुए, गवाह रामचन्द्र पीडब्ल्यू–02 ने अपने मुख्य परीक्षण में फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–3 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की एवं अपने कथनों के समर्थन में कुल 07 दस्तावेजात जिनमें फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–3, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–4, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–5, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–7, आमद रवानगी मूवमेंट

रजिस्टर प्रदर्श पी–8 व फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–9 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उल्लेखनीय रहें कि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई, परंतु उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण के संदर्भ में अखण्डित रहा। न्यायालय के विनम्र मत में उक्त गवाह ने जिन फर्दात पर प्रदर्श अंकित किया, वे समस्त फर्दात भी अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा स्वीकार की गई, ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के बयानों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष विद्यमान नहीं है।

13– आगे अन्य साक्षी ओंकार सिंह पीडब्ल्यू–04 ने भी परिवादी रामचन्द्र के कथनों की ताईद की और अपने कथनों के समर्थन में 02 दस्तावेजात फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–3 तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से भी विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई, परंतु उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण के संदर्भ में अखण्डित रहा। आगे अन्य साक्षी रणसिंह पीडब्ल्यू–01 ने प्रकरण में जब्तशुदा माल नमूना सेंपल 18 पव्वों को सीलबंद अवस्था में मालखाना इंचार्ज मालाराम जमादार से प्राप्त कर आबकारी प्रयोशाला अजमेर में जमा कराकर नमूना प्राप्ति रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करने तथा अग्रेषणपत्र प्रदर्श पी–1 व नमूना प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–2 पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। अन्य गवाह पीडब्ल्यू 03 श्रीमती मायादेवी ने अभियुक्ता की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। उक्त गवाहान से भी अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने कथनों के संदर्भ में अखंडित रहे एवं उक्त गवाहान द्वारा जिन फर्दात पर प्रदर्श अंकित किया, उन फर्दात को भी अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त फर्दात्त को स्वीकार किये जाने से भी उक्त साक्षीगण के कथन अखंडित माने गए।

14– प्रकरण में अभियुक्ता के चैतन्य आधिपत्य से जो शराब बरामद हुई है, उसकी पुष्टि फर्द जप्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–3 से होती है। साथ ही घटनास्थल की पुष्टि नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 से होती है एवं प्रकरण में जब्तशुदा द्रव्य एल्कोहल था, इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध एफएसएल परीक्षण से होती है। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने जिन गवाहान को परीक्षित करवाया है, वे समस्त पुलिसकर्मी है, परंतु इस न्यायालय के विनम्र मत में गवाह पुलिसकर्मी होने मात्र से कार्यवाही संदेहास्पद नहीं हो जाती एवं पुलिसकर्मी भी सक्षम साक्षी होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह पेश हुआ है, उसकी साक्ष्य कमोबेश अंखडित रही है, जिस पर अविश्वास करने का न्यायालय के समक्ष कोई संतोषजनक कारण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है कि अभियुक्ता के चैतन्य आधिपत्य से प्रकरण में जप्तशुदा शराब बरामद की गई, जिसे अपने पास रखने के लिए कोई वैध अनुज्ञा–पत्र अभियुक्ता के पास नहीं था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई अभियोजन कहानी को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

15– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि दिनांक

12.01.2018 को किसी समय सांसी बस्ती, पुष्कर में एक प्लास्टिक के कट्टे में 45 पव्वे सादा देशी मदिरा के अभियुक्ता के चैतन्य कब्जे से बरामद हुए, जिन्हें रखने एवं परिवहनित करने का लाइसेंस/परमिट उसके पास नहीं था। परिणामस्वरूप अभियुक्ता श्रीमती रूकमा पत्नी सुरेश, उम्र–48 साल, निवासी सांसी बस्ती, पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

आदेश

16– परिणामतः अभियुक्ता श्रीमती रूकमा पत्नी सुरेश, उम्र–48 साल, निवासी सांसी बस्ती, पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर को अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

17– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्ता द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, जिस बाबत् अभियुक्ता की ओर से पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथ–पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि अभियुक्ता गरीब महिला है। अंत में अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

18– विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

19– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर अभियुक्ता के विरूद्ध पत्रावली पर प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड अनुसार एक प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन होना प्रकट होता है किंतु अभियुक्ता की दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अभियुक्ता को तुरन्त प्रभाव से कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित करने के बजाय सुधार का एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत पाता है तथा अभियुक्ता को दोषसिद्ध अपराध के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का फायदा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

दण्डादेश

20– अतः अभियुक्ता श्रीमती रूकमा पत्नी सुरेश, उम्र–48 साल, निवासी सांसी बस्ती, पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर को अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की दोषसिद्धि के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया

जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्ता एक वर्ष की अवधि हेतु 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश करेगी कि अभियुक्ता उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी, शांति व सदाचार बनाए रखेगी, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित हो जाएगी, तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्ता पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों एवं पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए 1,200/– रुपये(अक्षरे एक हजार दो सौ रुपये) बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री बाद गुजरने अपील/मियाद नियमानुसार निस्तारण बाबत संबंधित पुलिस थाना को तहरीर जारी की जावें।

21– अभियुक्ता के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

22– निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

DHARMENDRA KUMAR RATHORE
steno grade II authentication document
Digitally signed by DHARMENDRA KUMAR RATHORE